

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/सा0चि0पदा0-37/2025- /स्वा०, पटना, दिनांक / / 2025

डा० परितोष कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, रजौली, नवादा के अध्ययन अवकाश अवधि दिनांक 29.06.2020 से 03.07.2023 तक को विभागीय अधिसूचना संख्या-2045(2), दिनांक 30.11.2011 के आलोक में असाधारण अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विद्यानन्द जमादार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/सा0चि0पदा0-37/2025- 798(2) पटना, दिनांक 20/5 / 2025

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नवादा/कोषागार पदाधिकारी, नवादा/उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, रजौली, नवादा/ डा० परितोष कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, रजौली, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-3, 9, 17 एवं 18ए, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव